बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 6489220 / पटना, दिनांक :- 05/11/2026

ग्रा0वि0-R-504/04/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-351890)

श्री रवि शंकर कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-246802), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज (गया) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय सदर (बेगूसराय) के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 का योजना पंजी उपलब्ध नहीं कराने के आलोक में जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-137 दिनांक-10.01.2024 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

जिला पदाधिकारी, गया द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र में वर्णित आरोप पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज (गया) के पत्रांक-331 दिनांक-19.03.2024 के माध्यम से श्री रवि शंकर कुमार द्वारा स्पष्टीकरण/बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया।

जिला पदाधिकारी, गया द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-4549319 दिनांक-02.09.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से मंतव्य की मांग की गयी । जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-108 दिनांक-22.04.2026 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री रवि शंकर कुमार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त आरोप पत्र, उक्त आरोप पर श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गया द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला पदाधिकारी, गया द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकारात्मक प्रतिवेदित किया गया है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री रवि शंकर कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-246802), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज (गया) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय सदर (बेगूसराय) को स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

5/11/26

(विभाकर कुमार)

अवर सचिव

ज्ञापांक :- 6489970 / पटना, दिनांक :- 05/11/2026

संचिका सं0- R-504/04/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-351890)

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/11/26
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 6489970 / पटना, दिनांक :- 05/11/2026

संचिका सं0- R-504/04/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-351890)

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया एवं बेगूसराय/उप विकास आयुक्त, गया एवं बेगूसराय /कोषागार पदाधिकारी, गया एवं बेगूसराय /प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ श्री रवि शंकर कुमार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-246802), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, वजीरगंज (गया) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय सदर (बेगूसराय)/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/11/26
अवर सचिव

ज्ञापांक :- 6489970 / पटना, दिनांक :- 05/11/2026

संचिका सं0- R-504/04/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM No-351890)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

5/11/26
अवर सचिव